


170

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट  
रीवा जिला रीवा म0प्र0



Rs. 10

ऋषी केश द्विवेदी तनय श्री ददोली प्रसाद द्विवेदी उम्र 42 वर्ष पेशा  
कृषि निवासी ग्राम बीरखाम तह0 सेमरिया जिला रीवा म0प्र0

MS 139 II 17

आवेदक

बनाम

1- रामखेलावन द्विवेदी तनय तनय नामालुम उम्र 70 वर्ष निवासी ग्राम  
बीरखाम तहसील सेमरिया जिला रीवा म0प्र0

2- मिथिलेश कुमारी पत्नी दिनेश द्विवेदी उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम  
बीरखाम तहसील सेमरिया जिला रीवा म0प्र0

अनावेकदगण

आवेदन पत्र एम0जे0सी0 क0  
एम-5506 / II / 16 मे पारित  
अदम पैरवी में खारिजी आदेश  
दिनांक 22-03-2017 को निरस्त  
करते हुये एम0जी0सी0 को  
पुनर्स्थापित किये जाने बावत्  
आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 35(3)  
म0प्र0भू0रा0सं0 1959 ई0

अधिकांश प्रमाण गौतमदास  
जुलाई 30-3-17

राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा

मान्यवर,

आवेदन पत्र के आधार निम्नलिखित है :-

1- यह कि माननीय न्यायालय के समक्ष एम0जे0सी0 क0

अद्वैत केश दियेरी / राम लखन दियेरी

60

M. 5139- दौ/17 सीका

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों के अधिभाव आदि के हस्ताक्षर
17-5-17.	<p>1- आवेदन अभिभाषक श्री अरुण कुमार गौतम एड उपा।</p> <p>2. आवेदन द्वारा यह आवेदन लालिग की चारा 35(3) के तहत मूल प्रमाण क्रमांक M. 5506/ ए/16 अरुण पेरवी दिनांक 22-3-17 को पुनर्स्थापित हेतु आवेदन पेश किया गया है। आवेदन अभिभाषक को सुना गया तथा प्रमाण का अवलोकन किया। प्रमाण क्रमांक M. 5506/ ए/16 पुनर्स्थापित किया जाता है।</p> <p>3. मूल प्रमाण पुनर्स्थापित किया जाने पर प्रमाण लगाए किया जाता है। तदनुसार प्रमाण देनी से लगाए होकर सफ हो।</p> <p style="text-align: right;">सिद्ध</p>	<p>N R Awd 15</p>

M